अध्याय 2
शक्तियां और कार्य

नियम 3 : अवधि की गणना

जहां किसी कार्य को करने के लिए अधिनियम या नियमों या इन नियमों या किसी अन्य विधि के अधीन या अपील अधिकरण द्वारा कोई अवधि नियत की जाती है, वहां समय की गणना करने में, वह दिन जिससे उक्त अवधि की गणना की जानी है, अपवर्जित कर दिया जाएगा, और यदि अंतिम दिन उस दिन समाप्त होता है जब अपील अधिकरण का कार्यालय बंद रहता है तो वह दिन और कोई भी उत्तरवर्ती दिन या वे दिन, जिनको अपील अधिकरण बंद रहता है, भी अपवर्जित कर दिए जाएंगें।